

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
सोमवार, 31 अगस्त, 1998 / भाद्रपद 9, 1920 ॥शक॥

संख्या : 419

दिल्ली भौतिक चिकित्सा एवं व्यवसायिक
चिकित्सा परिषद् में सदस्य का नामांकन ।

----- 0 -----

दिल्ली भौतिक चिकित्सा एवं व्यवसायिक चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1997 की धारा 3(1)(च) के प्रावधानों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा ने डा. ज्ञान चन्द को सदस्य दिल्ली भौतिक चिकित्सा एवं व्यवसायिक चिकित्सा परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है ।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART -II

(General information relating to Legislative and
other matters)

Monday, August 31st, 1998 / Bhadrapad 9, 1920 (Saka)

No. 419

Nomination of Member to the Delhi Council for
Physiotherapy and Occupational Therapy.

As per provision of section 3(1)(f) of Delhi Council
for Physiotherapy and Occupational Therapy Act, 1997, Hon'ble
Speaker, Delhi Vidhan Sabha has been pleased to nominate
Dr. Gyan Chand, MLA on the Delhi Council for Physiotherapy
and Occupational Therapy

P.N. GUPTA
SECRETARY